# —: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :—

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 81 / 2024

**उनवान**

1. मक्खनलाल,
2. माणकचन्द पि. छोटूलाल,
3. किशनलाल पि. नोरतमल,
4. हेमराज पि0 छोटू जाति कुम्हार नि0 ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :—जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

**बनाम**

1. मोहम्मद अमीन,
2. मोहम्मद रफी पि. माहम्मद शफी जाति मुसलमान नि. नसीराबाद,
3. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— अप्रार्थीण :— 1 से 2 जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन
3 जरियें राज. पैरोकार

4. गटटु,
5. जितेन्द्र,
6. बरजी,
7. माया,
8. मिटठु,
9. रेखा,
10. राकेश,
11. राजू,
12. सीमा पि. नोरतमल समस्त जाति कुम्हार नि0 दिलवाडा, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा अप्रार्थीण :— अनुपस्थित

---

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131व 132 भू राजस्व अधिनियम 1956

---

—: आदेश :— दिनांक :— 9/5/25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के वंर्किग खसरा नम्बर 189 रकबा 3—18—0 के हाल खसरा नम्बर 218 रकबा 0.38, 219 रकबा 0.23 व 220 रकबा 0.07 की आराजी प्रा[illegible] कयशुदा है। दौराने बंदोबस्त हाल नक्शा बनाते समय त्रुटिपूर्ण तरी[illegible] को गलत अंकित कर दिया जबकि खसरा नम्बर 219 के दक्षिण दिशा में 1540/21[illegible] अंकित होना था। खसरा नम्बर 1540/218 खसरा नम्बर 220 के स्थान पर [illegible]मीम किया जाना था। [illegible] में

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:51 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रार्थीगण को उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न हो रही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने के आदेश पारित करावे।

आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीसंख्या 1 व 2ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वंर्किग खसरा नमबर 189 रकबा 3–18–0 दिनांक 13.06.1989 को नोरतमल कुम्हार ने क्रय किया था। उक्त आराजी में से 0–3–0 भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा अवाप्त की गयी। उक्त आराजी के 1/2 हिस्से के खातेदार रामसुख पुत्र धूकल द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को भूमि का बैचान किया गया। नोरतमल के वारिसान द्वारा एक वाद उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष पेश किया जिस पर दिनांक 31.12.08 को निर्णय किया गया। जिसकी अपील माानीय आरएए न्यायालय में करने पर मौ. अमीन को 1/2 हिस्स व नोरतमल को 1/2 हिस्सा का खातेदार घोषित किया गया। उक्त आराजी का विभाजन प्रसताव भी मौतबिरान व्यक्तियों के समक्ष तैयार किया गया। वर्तमान खसरा नम्बर 21 के उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 1540/218 सही दर्शाया है। वर्तमान खसरा नम्बर 219 के उत्तरी दिशा मे 219/1336 दर्शायाहै। हाल राजस्व मानचित्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे। राज. पैरोकार ने जवाब नही पेश करना जाहिर किया। शेष अप्रार्थीगण प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 219 रकबा 0.23 व 1540/218 रकबा 0.0750 प्रार्थीगण व प्रफोर्मा अप्रार्थीगण के नाम तथा खसरा नम्बर 220 रकबा 0.07 व 218 रकबा 0.3050 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण का कथन है कि दौराने बंदोबस्त हाल नक्शा बनाते समय त्रुटिपूर्ण तरीके से खसरा नम्बर 220 को गलत अंकित कर दिया जबकि खसरा नम्बर 219 के दक्षिण दिशा में 1540/218 के स्थान पर अंकित होना था। खसरा नम्बर 1540/218 खसरा नम्बर 220 के स्थान पर तरमीम किया जाना था। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उक्त आराजी वंर्किग खसरा नम्बर के आधार पर क्रय की थी। पूर्व में उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी में थी। पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव दिनांक 10.01.12 के अनुसार माननीय आरएए अजमेर न्यायालय के आदेश से विभान प्रसताव तैयार किया गया। उक्त प्रस्ताव पर प्रार्थी संख्या 3 किशनलाल के भी हस्ताक्षर है। उक्त मौका पर्चा के आधार पर प्रार्थी व अप्रार्थी के मध्य भूमि का विभान कर तरमीम की गयी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त विभाजन आदेश के विरूद्व आज दिवस तक कोई चाराजोही नही की है। हाल राजस्व मानचित्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि सिद्व करने हेतु प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये है। उभयपक्ष के मध्य भूमि के विभाजन के बाद बंदोबस्त विभाग द्वारा ग्राम बारापत्थर में कोई बंदोबस्त कार्य नही किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्व में हाजा न्यायालय में हाल खसरा नम्बर 220 की पत्थरगढी का आवेदन भी पेश किया था। जिस पर पत्थरगढी के आदेश पारित किये गये। हाल राजस्व मानचित्र में किसी भी प्रकार की त्रुटी नही पायी जाती है।

अतः ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा नम्बर 218 रकबा 0.38, 219 रकबा 0.23 व 220 रकबा 0.07 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र “खारिज” किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:12:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद